

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2022—आश्विन 29, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री यशवंत सिंह ठाकुर, आयु—48 वर्ष, निवासी— एफ—2/7, 36 गवर्मेंट क्वार्टर, माता मंदिर के पास, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूँ, मेरे समर्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम शैलेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री यशवंत सिंह ठाकुर एवं मेरी पत्नि का नाम श्रीमति ज्योति सिंह ठाकुर पत्नि शैलेन्द्र सिंह ठाकुर ही दर्ज है। वर्ष 2017 में मेरी पुत्री कु. अनन्या सिंह ठाकुर का कक्षा पाँचवी में सेंट जोसेफ को—एड स्कूल में प्रवेश के समय मेरे द्वारा जो दस्तावेज (स्थानांतरण प्रमाण—पत्र) जमा किये गये थे, उसमें मेरा नाम शैलेन्द्र ठाकुर एवं मेरी पत्नि का नाम श्रीमति ज्योति ठाकुर लिखा गया है, परन्तु मेरा पूरा नाम शैलेन्द्र सिंह ठाकुर है एवं मेरी पत्नि का सही नाम श्रीमति ज्योति सिंह ठाकुर है।

अतः आमजन को सूचित हो कि मेरा नाम शैलेन्द्र सिंह ठाकुर एवं मेरी पत्नि का नाम श्रीमति ज्योति सिंह ठाकुर पड़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

1. शैलेन्द्र ठाकुर

आत्मज— श्री यशवंत सिंह ठाकुर

2. ज्योति ठाकुर

पत्नि— शैलेन्द्र ठाकुर

नया नाम

शैलेन्द्र सिंह ठाकुर

आत्मज— श्री यशवंत सिंह ठाकुर

ज्योति सिंह ठाकुर

पत्नि—श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर

(G-1767)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार कुम्हार आत्मज स्व. श्री फागूलाल, आयु— वयस्क, निवासी— म.नं. एफ—118/18, शिवाजी नगर, भोपाल. मैं, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ यह, कि मेरे शासकीय रिकॉर्ड में मेरा नाम अशोक कुम्हार अंकित है। जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक कुमार कुम्हार अंकित है, जो कि सही एवं सत्य है। मुझे भविष्य में अशोक कुमार कुम्हार के नाम से पढ़ा व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(अशोक कुम्हार)

नया नाम

(अशोक कुमार कुम्हार)

(G-1768)

CHANGE OF NAME

I, ALI ASGAR BADIDUKAN have changed my name to ALI ASGAR S/o MAZAHIR and now I would be known as ALI ASGAR S/o MAZAHIR.

Old Name

(ALI ASGAR BADIDUKAN)

New Name

(ALI ASGAR)

Badshah Hills, Flat No. 504, 5th Floor,
Hasanji Nagar, Rau, Dist., Indore (M.P.).

(G-1769)

CHANGE OF NAME

To be informed to the public that previously my name was SUBHASH JAIN which is now changed to SUBHASH KUMAR MOONAT. From now onwards I shall be known by this name only.

Old Name

(SUBHASH JAIN)

New Name

(SUBHASH KUMAR MOONAT)
74, New Agrawal Nagar, Indore (M.P.).

(G-1770)

CHANGE OF NAME

To be informed to the public that previously my name was DILIP KUMAR JAIN which is now changed to DILIP MOONAT. From now onwards I shall be known by this name only.

Old Name

(DILIP KUMAR JAIN)

New Name

(DILIP MOONAT)

flat No-104, Sukh Sagar
Appt. A-Block, 4, Janki Nagar Main,
Indore (M.P.).

(G-1771)

CHANGE OF NAME

I, SUNIL JALUKA here by declare that I have changed my name as SUNIL AGRAWAL so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(SUNIL JALUKA)

New Name

(SUNIL AGRAWAL)
48-E, S-3, Aranya Scheme No. 78,
Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(G-1772)

नाम परिवर्तन

मैं, राजवती पत्नी स्व. श्री अरविन्द सिंह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम श्रीमती रश्मि देवी (SMT. RASHMEE DEVI) था, जो मेरे पति की बीमा पॉलिसी में नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) के रूप में लिख गया है, जबकि वर्तमान में मुझे राजवती पत्नी स्व. श्री अरविन्द सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और भविष्य में भी मैं इसी नाम से राजवती पत्नी स्व. श्री अरविन्द सिंह के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी। श्रीमती रश्मि देवी (SMT. RASHMEE DEVI) और राजवती दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे पति स्व. श्री अरविन्द सिंह की बीमा पॉलिसी में नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरा नाम रश्मि देवी (SMT. RASHMEE DEVI) के स्थान पर राजवती पत्नी स्व. श्री अरविन्द सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम
(रश्मि देवी)
(RASHMEE DEVI)
(G-1773)

नया नाम
(राजवती)
पत्नी—स्व. श्री अरविन्द सिंह,
पता— म.नं. 84, रामचरन का पुरा, पुराबस्कला,
अम्बाह, मुरैना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री NYASHA SISODIA के सभी अंकसूचियों में मेरे पूरे नाम की जगह शार्ट नेम C.S. SISODIA अंकित है, जबकि मेरे पुत्री के सभी अन्य दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम CHANDRA SHEKHAR SISODIA (चन्द्रशेखर सिसोदिया) लिखा है। भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में मेरा पूरा नाम चन्द्रशेखर सिसोदिया पढ़ा व समझा जावे एवं मेरी पुत्री के सभी अंकसूचियों में व अन्य दस्तावेजों में दर्ज मेरे संक्षिप्त नाम C.S. SISODIA को मेरे पूरे नाम चन्द्रशेखर सिसोदिया CHANDRA SHEKHAR SISODIA के नाम से जाना व पहचाना जावे।

(चन्द्रशेखर सिसोदिया,
निवासी— डी / 28, ऋषिकल्प कॉलोनी,
नियर कल्पना नगर, अयोध्या बायपास रोड,
भोपाल (म.प्र.).
(G-1774)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति अदिती नाईक, उम्र 43 वर्ष, पति श्री देवानंद नाईक, निवासी— 1575, पंजाबी बारात घर के पास, नेपियर टाउन, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में निवासरत हूँ। मेरा विवाह पूर्व नाम माणिक मुठे पुत्री श्री कुमार मुठे था तथा मेरे संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजों और अंकसूचियों में यही नाम दर्ज है। मेरा विवाह श्री देवानंद नाईक पिता श्री पुरुषोत्तम नाईक के साथ दिनांक 26-04-2002 में स्थान जबलपुर में संपन्न हुआ था। विवाह के बाद अब मेरा नाम श्रीमति अदिति नाईक पति श्री देवानंद नाईक हो गया है और अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है। अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में यही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(माणिक मुठे)
पुत्री—श्री कुमार मुठे
(G-1775)

नया नाम
(अदिति नाईक)
पति—श्री देवानंद नाईक

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार सेठी, पिता प्रकाशचन्द्र सेठी, निवासी— मकान नंबर 113, महात्मा गांधी मार्ग, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) कथन करता हूँ कि मेरे समस्त दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड पर मेरा नाम संजय कुमार सेठी अंकित है एवं मेरे रिलायएन्स इन्हस्टीज लिमिटेड के 240 इकिटी शेयर सर्टिफिकेट जिसका फोलियो नंबर 71765253 है, जिसमें मेरा नाम संजय सेठी (Sanjay Sethi) के स्थान पर त्रुटिवश संजय सेठनी (Sanjay Setni)

अंकित हो गया है, जो कि सही होकर संजय सेठी (Sanjay Sethi) है।

(G-1776)

संजय कुमार सेठी,
पिता—प्रकाशचंद्र सेठी,
निवासी— मकान नंबर 113, महात्मा गांधी मार्ग,
सोनकछ, जिला देवास (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

That is to inform all that before marriage my name was RAKHI RAMESH KUMAR BALWANI and after marriage solemnized my name KANCHI TANWANI wife of Shri SHAILENDRA TANWANI. I should be known by new name KANCHI TANWANI wife of Shri SHAILENDRA TANWANI.

Old Name
(RAKHI RAMESH KUMAR BALWANI)

New Name
(KANCHI TANWANI)
wife of Shri SHAILENDRA TANWANI,
Add. : Flat No. 05, Block 310, Near Community Hall,
Prabhu Nagar, Idgah Hills, Bhopal (M.P.) 462001.

(G-1777)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जयश्री कुमारे (Jayshri Kumare) पिता भगवानदास कुमारे (Bhagwandas Kumare) पता— 753, शीलनाथ केम्प, नई बस्ती, बल्लभ नगर, इन्दौर (म.प्र.) कथन करती हूँ कि मेरा नाम जयश्री कुमारे (Jayshri Kumare) पिता श्री भगवानदास कुमारे (Bhagwandas Kumare) है तथा मेरा यह नाम मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड में दर्ज है एवं मेरी 10वीं और 12वीं की अंकसूची पर इंग्लिश में (Jayshri Kumare) के स्थान (Jayshree Kumare) त्रुटिवश अंकित हो गया है। जो सही होकर हिन्दी में जयश्री कुमारे और इंग्लिश में (Jayshri Kumare) पिता भगवानदास कुमारे (Bhagwandas Kumare) है।

(G-1778)

(जयश्री कुमारे)

पिता—भगवानदास कुमारे,
पता— 753, शीलनाथ केम्प, नई बस्ती,
बल्लभ नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अंजू आयुवर्ष, पुत्री चंदनमल जैन, पति विमल कुमार पाटनी, निवासी— मकान नंबर 39, वार्ड नंबर 41, मारवाड़ी कॉलोनी शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे माता—पिता द्वारा मेरा नाम प्रेमभाव वश अंजू जैन रखा था, परंतु मेरा वास्तविक नाम अंजली पुत्री चंदनमल जैन है तथा मेरा विवाह श्री विमलकुमार पाटनी, निवासी—मारवाड़ी कॉलोनी, बुरहानपुर (म.प्र.) से होने के उपरांत मैं, अपना वास्तविक नाम अंजली जैन पति विमलकुमार पाटनी का उपयोग करती हूँ तथा मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में भी मेरा नाम अंजली जैन पति विमलकुमार पाटनी का उल्लेख है। अतः भविष्य में मुझे अंजू जैन के स्थान पर मेरे नवीन अंजली जैन पति विमलकुमार पाटनी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे तथा मेरे सभी शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों के लिए भी मेरा नवीन नाम अंजली जैन पति विमलकुमार पाटनी के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे। सूचना जानिये।

(G-1779)

पुराना नाम
(अंजू जैन)
पुत्री—चंदनमल जैन

नया नाम
(अंजली जैन)
पति—विमल कुमार पाटनी,
निवासी— मकान नंबर 39, वार्ड नंबर 41, मारवाड़ी कॉलोनी
शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 15-10-2019 को ई-पंजीयन गोदनामा क्रमांक MP142602019A4703379 के माध्यम से (1) संतोष मिश्रा पुत्र औमप्रकाश मिश्रा, (2) संध्या मिश्रा पत्नी संतोष मिश्रा, निवसीगण— सदाशिव नगर, कोटेश्वर मार्ग, बहोड़ापुर, लश्कर, जिला ग्वालियर की पुत्री साक्षी मिश्रा पुत्री संतोष मिश्रा को गोद लिया था। गोदनामा सम्पादित होने के बाद साक्षी मिश्रा की वैध मां हूं इस कारण मैं अपनी पुत्री साक्षी मिश्रा के सभी दस्तावेजों में मां के रूप में अपना नाम संगीता मिश्रा एवं पिता के रूप में स्व. जितेन्द्र मिश्रा का नाम अंकित कराना चाहती हूं। भविष्य में साक्षी मिश्रा पुत्री स्व. जितेन्द्र मिश्रा, मां संगीता मिश्रा के नाम से जानी व पहचानी जायेगी। मेरी पुत्री साक्षी मिश्रा के माता-पिता के नामों लेकर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

संगीता मिश्रा,

पत्नी—स्व. श्री जितेन्द्र मिश्रा,

निवासी— 565, सदाशिव नगर, बहोड़ापुर,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1780)

उपनाम परिवर्तन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरा नाम वर्षा देवडा (Varsha Devda) पिता जगदीश देवडा (Jagdish Devda), निवासी— 99, पाटीदार मोहल्ला, पुलिस थाना के पीछे, वार्ड नं. 03, कुक्षी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) की निवासी हूं। मेरे आधार कार्ड में मेरा उपनाम की स्पेलिंग (Dewda) दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरे उपनाम की वास्तविक स्पेलिंग (Devda) है। मेरे उपनाम की स्पेलिंग (Devda) इसी उपनाम व स्पेलिंग से जाना व पहचाना जाता है, जो कि सत्य व सही है। भविष्य में मेरे उपनाम के संबंध में कोई परेशानी आती है, तो उसकी जवाबदारी मेरी रहेगी।

अतः मेरा वास्तविक उपनाम की स्पेलिंग (Devda) होने के संबंध में यह प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुराना नाम

नया नाम

(वर्षा देवडा)

(वर्षा देवडा)

(Varsha Dewda)

(Varsha Devda)

(G-1781)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स प्रणाम इस्टेट फर्म जिसका पता— 425 गोयल नगर इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन कमांक 03/27/01/0233/22 दिनांक 12/09/2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री अखिलेश जैन पिता श्री लक्ष्मीचन्द जैन 2. श्री अजय जैन पिता श्री कालूराम जैन थे। तत्पश्चात् दिनांक 23/05/2012 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री राजेश तलाटी पिता श्री मनोहरलाल तलाटी भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए एवं श्री अजय जैन पिता श्री कालूराम जैन भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 03/04/2013 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री मनोज चौहान पिता श्री रणजीत सिंह चौहान एवं श्री बाबूलाल गौड़ पिता श्री सुनेरसिंह गौड़ भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गये। तत्पश्चात् दिनांक 16/02/2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री अखिलेश जैन पिता श्री लक्ष्मीचन्द जैन तथा श्री राजेश तलाटी पिता श्री मनोहरलाल तलाटी फर्म से पृथक् हो गये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 15/03/2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री लोकेन्द्र पंवार पिता श्री बद्रीलाल पंवार एवं श्रीमती नेहा पंवार पति श्री लोकेन्द्र पंवार भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गये हैं तत्पश्चात् दिनांक 06/11/2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री रजत पंवार पिता श्री रामप्रसाद पंवार भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गए एवं श्रीमति नेहा पंवार पति श्री लोकेन्द्र पंवार भागीदारी फर्म से पृथक् हो गयी है। सभी प्रथक् हुए भागीदारों ने फर्म मेसर्स प्रणाम इस्टेट से अपना पूर्ण हिसाब किताब अपने फर्म से पृथक् होने के समय कर लिया है तथा कुछ भी लेना—देना शेष नहीं है। यह विदित हो।

तर्फे मे. प्रणाम इस्टेट

लोकेन्द्र पंवार

रजत पंवार

भागीदार

(G-1782)

जाहिर सूचना

“सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. रमेशचंद्र एंड कंपनी, जिसका पंजीयन क. 1728, दिनांक 29.10.1980, पंजीकृत पता—पंधाना रोड़ खंडवा है, जिसमें भागीदारी के समय चार भागीदार — 1. रमेशचंद्र शाह पिता श्री भगवानदास शाह, 2. पुरुषोत्तमदास शाह पिता श्री भगवानदास शाह, 3. हरिविल्लभदास शाह पिता श्री भगवानदास शाह एवं 4. गोविंददास शाह पिता श्री भगवानदास शाह थे।

यह कि दिनांक 12 जून 2002 की संशोधन डीड अनुसार चौथे भागीदार श्री गोविंददास शाह ने निजी कारणों से भागीदारी से रिटायरमेंट ले लिया, एवं उनके स्थान पर दो नये पार्टनर 1. श्री आनंद शाह पिता श्री गोविंददास शाह एवं 2. श्री अतुल शाह पिता श्री गोविंददास शाह को अन्य 3 भागीदारों की सहमति से भागीदारी विलेख में जोड़ा गया।

तत्पश्चात् दिनांक 19.10.2011 की संशोधन डीड अनुसार पूर्व भागीदार श्री पुरुषोत्तमदास शाह के दिनांक 16 जनवरी 2011 को देहावसान हो जाने के कारण, उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती चमेलीदेवी शाह पति स्व. श्री पुरुषोत्तमदास शाह को भागीदारी विलेख में जोड़ा गया । इस प्रकार 19.10.2011 की स्थिति में अब कुल पाँच भागीदार रहे ।

यह कि दिनांक 08.02.2014 की संशोधन डीड अनुसार पूर्व भागीदार श्रीमती चमेलीदेवी शाह पति स्व. पुरुषोत्तमदास शाह का दिनांक 8 फरवरी 2014 को देहावसान हो जाने के कारण, उनके स्थान पर उनके दो पुत्र 1. श्री हर्षद शाह पिता स्व. श्री पुरुषोत्तमदास शाह एवं 2. श्री राकेश शाह पिता स्व. श्री पुरुषोत्तमदास शाह को भागीदारी विलेख में जोड़ा गया ।

अतः इस प्रकार 08.02.2014 की स्थिति से वर्तमान तक कुल 6 भागीदार – 1. श्री रमेशचंद्र शाह पिता श्री भगवानदास शाह, 2. श्री हरिवल्लभदास शाह पिता श्री भगवानदास शाह, 3. श्री आनंद शाह पिता स्व. श्री गोविंददास शाह, 4. श्री अतुल शाह पिता स्व. श्री गोविंददास शाह, 5. श्री हर्षद शाह पिता स्व. श्री पुरुषोत्तमदास शाह एवं 6. श्री राकेश शाह पिता स्व. श्री पुरुषोत्तमदास शाह हैं । जो आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो ।

फर्म मे. रमेशचंद्र एंड कंपनी

1. रमेशचंद्र शाह पिता श्री भगवानदास शाह
2. हरिवल्लभदास शाह पिता श्री भगवानदास शाह
3. आनंद शाह पिता श्री गोविंददास शाह
4. अतुल शाह पिता श्री गोविंददास शाह
5. हर्षद शाह पिता स्व. श्री पुरुषोत्तमदास शाह
6. राकेश शाह पिता स्व. श्री पुरुषोत्तम शाह

भागीदार

(G-1783)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैतर्स शिव गंगा ऑटोमोबाईल्स (साझेदारी फर्म) PANAEDFS915OC कार्यालय, ग्राम धौंसवास, जिला रतलाम म.प्र. 457001 पंजीयन द्वारा 07/37/01/0012/20 वर्ष 2020-21 एवं पंजीयन दिनांक 08 जुलाई 2020 है।

यहा फर्म 18 जून 2020 से अस्तित्व में थी, दिनांक 23 सितंबर 2022 को उक्त फर्म का समापन विलेख (Dissolution Deed) सभी साझेदारों की आपसी सहमति से सम्पादित हुआ अतः उक्त फर्म को दिनांक 23 सितंबर 2022 से समाप्त एवं भंग माना जायेगा, यहा जानकारी आम जन को सूचित है।

महेशचंद्र पाटीदार

दीपेश पाटीदार

पार्टनर

मैतर्स शिवगंगा ऑटोमोबाईल्स

ग्राम धौंसवास, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

(G-1784)

NOTICE
U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT.1932

Notice is hereby given that the firms "**M/S GOUR BROTHERS**" of Hoshangabad vide **Reg. No. 1061/1977** year **1977/78** date of Registration **22/09/1977** undergone the following changes:-

- 1- That Mr. Mahendra Kumar Gour S/o Late. Shri Hazarilal Gour is expired and Mr. Anurag Gour S/o, Shri Surendra Kumar Gour is also willing to join the said partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. **20/09/2014**.
- 2- That the Corporate office of the firm is shifted of House No.-531, Word No.-20, Satyam Bhawan, Fouzdar Colony, Rasuliya, Hoshangabad-461001 w.e.f. **20/09/2014**.
- 3- That Mr. Surendra Kumar Gour S/o Late. Shri Hazarilal Gour is expired and Smt. Radhika Gour W/o Shri Abhishek Gour is willing to join the said partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them w.e.f. **16/08/2022**.

M/S GOUR BROTHERS

Abhishek Gour

Partner

(G-1785)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

क्र. 626—अ.वि.अ.—वृत्तगो.—2022

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022

**म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1)
पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत
समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल**

जैसा कि आवेदक श्री नेमीनाथ दिग्म्बर मंदिर ट्रस्ट, नेमी नगर, पीपल चौराहा, बैरसिया रोड करोंद भोपाल म0प्र0 के द्वारा म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है ।

2. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक ०२/५/२०२२ को विचार में लिया जावेगा । यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

:: अनुसूची ::

ट्रस्ट का नाम व पता:-

श्री नेमीनाथ दिग्म्बर जैन मंदिर ट्रस्ट
नेमी नगर, पीपल चौराहा, बैरसिया रोड
करोंद भोपाल म0प्र0

न्यास कार्यालय का पता:-

नेमी नगर, पीपल चौराहा, बैरसिया रोड
करोंद भोपाल म0प्र0

अचल सम्पत्ति:-

एक मंदिर कुल क्षेत्रफल—3200 वर्गफिट,
शिवनगर पुराना मुरली नगर करोंद भोपाल
में स्थित है ।

चल सम्पत्ति

निरंक / —

(G-1786)

मनोज कुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र,
जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

(कलेकटोरेट, कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर, मध्यप्रदेश)

क्र. 933—रीडर—1-22

जूनी, इंदौर, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

(फार्म चार)

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

श्री श्वेताम्बर जैन पारमार्थिक न्यास इन्दौर पता—90, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिषिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यालय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निष्प्रित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिषिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल — चल संपत्ति का विवरण)

श्वेताम्बर जैन पारमार्थिक न्यास इन्दौर पता—90, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :- 11,111/- ।

आज दिनांक

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1787)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दमोह

प्रारूप क्र. 04

[देखे नियम 5(1)]

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह जिला दमोह के समक्ष

यतः पुजारी पुरोहित कर्मकाण्ड महासंघ दमोह श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पुराना तालाब सिविल वार्ड नं 2 दमोह की ओर से अध्यक्ष राहुल पाठक निवासी दमोह के द्वारा लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर दिनांक 31.10.2022 को 02:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची:-

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

संपत्ति – निरंक

पुजारी पुरोहित कर्मकाण्ड महासंघ दमोह अध्यक्ष

राहुल पाठक निवासी दमोह तहसील व जिला दमोह

(G-1788)

गगन बिसेन, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला इंदौर

क्र. 11357—भू—अर्जन—2022 विज्ञप्ति 220

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

“प्रारूप अठारह”

(नियम 19 (5) देखिए)

धारा 50 की उप—धारा(3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.पी.एस.—10, ग्राम बड़ा बागड़ंदा, पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी एवं टिगरिया बादशाह तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप—धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप—नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है :—

- 1— इंदौर विकास प्राधिकरण, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर ।
- 2— संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए.बी.रोड, इंदौर
- 3— प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.idaindore.org पर भी प्रकाशित ।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा ।

(G-1789)

आर. पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग राऊ-इन्दौर, जिला इन्दौर

क्र. 836—री.राऊ—2022

इन्दौर, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

(फार्म-चार)

आवेदक देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक प्रतिष्ठान, इन्दौर पता—अहिल्या स्मृति सदन, 21 प्रिंस यशवंत रोड, इन्दौर लोक न्यास के पंजीयन हेतु म.प्र. प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अधिने आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के संलग्न राशि रूपये 5/- का चालान एवं ट्रस्ट डीड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	"देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक प्रतिष्ठान, इन्दौर"
पता:-	पता—अहिल्या स्मृति सदन, 21 प्रिंस यशवंत रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	ट्रस्ट डीड अनुसार
चल सम्पत्ति	ट्रस्ट डीड अनुसार

आज दिनांक 17/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1790)

प्रतुल सिन्हा, पंजीयक एवं अनुविभगीय अधिकारी

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2022—आश्विन 29, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)